

2023

प्रेषक.

रविनाथ रामन.  
सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,  
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 16 अगस्त, 2023

विषय: उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) (UTET-I & UTET-II) विषयक शासनादेश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के पत्र संख्या /NCTE-Reg.1018/1135/2018-US (Regulation Section)-HQ दिनांक 04.08.2022 के अनुक्रम में आपके पत्र संख्या-प्रा0शि0-दो(2)/268-2017/6660/2023-24 दिनांक 14.07.2023 के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (U-TET) आयोजित किये जाने हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-163, दिनांक 04 मार्च, 2016 के बिन्दु-03 के उप बिन्दु (1) A (iii) एवं (1) B (i) में सम्यक विचारोपरान्त स्तम्भ-2 के अनुसार एतद्वारा निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

शासनादेश का बिन्दु	(स्तम्भ-1)	(स्तम्भ-2)
	शासनादेश संख्या-163 दिनांक 04.03.2016 में वर्णित प्राविधान	संशोधित बिन्दु/प्रस्तर
3 (1) (A) (iii)	अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम (I-V) (UTET-I) (प्राथमिक शिक्षकों हेतु)। (iii) ..... एक वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत अथवा दो वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा चार वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।	अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम (I-V) (UTET-I) (प्राथमिक शिक्षकों हेतु) (iii) ..... एक वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत अथवा दो वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा चार वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/प्रशिक्षण में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।
3 (1) (B) (i)	अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम (VI-VIII) (UTET-II) (उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु) (i) ..... एक वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत अथवा दो	अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम (VI-VIII) (UTET-II) (उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु) (i) ..... एक वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत अथवा दो

146837

संख्या- /XXIV-A-1/2023/59077/2023

निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

इण्डेक्स न. 11/1

दिनांक 23/08/23

17/2023

तृतीय डिग्री/डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा चार वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।	तृतीय डिग्री/डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा चार वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/प्रशिक्षण में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।
--	--

उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त शारानादेश संख्या-163/XXIV(1)/2016-15/2011 दिनांक 04.03.2016 की अन्य समस्त शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत् लागू रहेंगे। उपरोक्त निर्गत शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath

Date: 16-08-2023 15:08:42



(रविनाथ रामन)

सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
- ✓ 2. निदेशक, माध्यमिक, ननूरखेड़ा, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
5. गार्ड फाइल।

Signed by Rajendra Singh Bonal

Date: 16-08-2023 17:22:57

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)

अनु सचिव।